तालिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर और केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची ।

इन दो संस्थाओं में मानसिक रूप से बीमार रोगियों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

			रा. मा. स्वा. एवं के. म. सं. सं. वि. संस्थान	
1.	24-7-97 की स्थिति के अनुसार दाखिल रोगियों की संख्या		537	41[illegible]
2.	मौतें	1991-92	11	10
		1992-93	20	11
		1993-94	9	6
		1994-95	10	13
		1995-96	18	10
		1996-97	13	[illegible]
		1997 (अप्रैल/जुलाई)	8	2
3.	स्वास्थ्य हो गए रोगी जिन्हें उनके परिजनों द्वारा नहीं स्वीकार किया गया ।		[illegible]	150 (लगभग)

इन दो विशिष्ट संस्थाओं में व्यावसायिक चिकित्सा व्यावसायिक निदेशन और प्रशिक्षण के माध्यम से मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए एक पुनर्वास विभाग है।

Culrii a/ion of I\l< dkinal Plants

2540. SHRI SOLIPETA RAMA-CHANDRA REDDY: Will ihn PRIME MINIS 11 K be pleased ki state :

(a) whether there U I great de-mand in 'he world for rocdiciBal pUats tram India; tbi i| BO whethei an) taken to promote contra cullh ition ot IKII pl.m'v and

(c) i(IO, the detail I

THE MINSITER OF STATE IN THE MINSTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE SHRI MATI RENUKA CHOWDHURY

(A) yes sir

(b) and (c) schems are beig implemented for development and cuiltruction of therse plants throught various Govemetn semi government organizations and also for development of agrotechnques for theirs culcitaion this will help in taking up commercial cultivation of medicinal plants

सी॰सी॰आई॰एम॰ द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक/यूनानी सिद्ध महाविद्यालय

2541. श्री मुलकल मोपा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी॰ सी॰ आई॰ एम॰ द्वारा सारे देश में मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक/यूनानी/

सिद्ध महाविद्यालय कौन-कौन से हैं और उनमें से कितने महाविद्यालय सी० सी० आई० एम० द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा करते हैं ;

(ख) क्या सरकार का ऐसे महाविद्यालयों को मान्यता समाप्त करने का विचार है जो सी० सी० आई० एम० द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा नहीं करते, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कर्नाटक के ऐसे कुछ महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है जो सी० सी० आई० एम० द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें मान्यता प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय, बोर्ड और अन्य संस्थान, जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता प्रदान करते हैं, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। [देखिए परिशिष्ट 181, अनुबंध संख्या 68] केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद से इन कालेजों का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं।

मान्यता रद्द करने का मामला भा० चि० केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।(देखिए परिशिष्ट 181, अनुबंध संख्या 68] ।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए पृथक विभाग

2542. **श्री मूलचन्द मीणा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए एक पृथक विभाग का गठन किया है, यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ सृजित पदों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इन रिक्तियों को भरने और एक पृथक विभाग के गठन के लिए आवश्यक बजट का उपबन्ध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी हां, भा०चि०प० एवं होम्योपैथी के विकास के लिए मार्च, 1995 में भा०चि०प० एवं होम्योपैथी के एक स्वतंत्र विभाग का सृजन किया गया है। इस मंत्रालय के दिनांक 5-6-95 के आदेश सं० जैड० 28015/13/89-भा०चि०प० (विकास के तहत 106 पदों का सृजन किया गया था (नोटें देखिए)। इसके पश्चात सचिव (भा०चि०प० एवं होम्यो०) और सचिव (भा०चि०प० एवं होम्यो०) के प्रधान निजी सचिव के एक-एक पद और ड्राइवर के दो पदों का पृथक रूप से सृजन किया गया था।

(ख) और (ग) वेतनों के व्यय के वहन के लिए सृजित किए गए नये पदों (सचिवालय और तकनीकी) के लिए वर्ष 1997-98 के लिए 59.00 लाख रुपए का अनुमानित प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में, अन्य बातों के साथ-साथ पहले ही भरे गए पदों और 1997-98 के दौरान भरे जाने वाले संभावित पदों के लिए वेतनों हेतु प्रत्याशित व्यय शामिल है।